

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 8 मई, 2020

कार्यालय जापन

विषय: राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महत्व वाली खेल प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंटों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भागीदारी के स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 16.07.1985 के का.जा. सं. 6/1/85-स्था. (वेतन-I) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 16.07.1985 के का.जा. के पैरा 3 (iii) में संशोधन किया जाता है:

"केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी, जिन्हें इस विभाग के दिनांक 16.07.1985 के का.जा. के पैरा 3(i) में उल्लिखित किन्हीं भी प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अपने मुख्यालयों के अतिरिक्त किसी अन्य स्टेशन की यात्रा करना अपेक्षित है, वे उनके लिए लागू यात्रा भत्ता नियमों के अनुरूप ऐसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का दावा करने के हकदार होंगे।"

2. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इनके लागू होने के संबंध में, ये आदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श के उपरांत जारी किए जाते हैं।

3. यह कार्यालय जापन, इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

4. इस कार्यालय जापन के हिन्दी व अंग्रेजी रूप के किसी प्रावधान में विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेजी रूप में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अशोक कुमार जैन
(ए. के. जैन)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
2. महासचिव, भारतीय उच्चतम न्यायालय।
3. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
4. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
5. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग)/जेसीए/प्रशासन अनुभाग।
7. सचिव, जेसीएम (कर्मचारी पक्ष) की राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
8. जेसीएम/विभागीय परिषद की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/पीईएसबी के सभी अधिकारी/अनुभाग।
10. संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।
11. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।

अशोक कुमार जैन

(ए. के. जैन)

उप सचिव, भारत सरकार